

कोरोना टीकाकरण महाअभियान में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए टीका लगवाया

रतलाम 21 जून । राज्य शासन द्वारा संचालित टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ 21 जून से हुआ। प्रातः 9 बजे से ही नगर के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर अस्पताल का स्टाफ अपनी वैक्सीन लेकर पहुंच चुके थे, उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे अपना वैक्सीनेशन करवाया।

टीकाकरण महाअभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कार्य हो सके, इसके लिए जिला मुख्यालय पर 52 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए। नगर के प्रत्येक वार्ड में स्थापित इन केन्द्रों पर युवाओं, बुजुर्गों महिलाओं ने उत्साह दिखाते हुए वैक्सीनेशन कराया। शहर में कई टीकाकरण केंद्रों पर रंगीन गुब्बारों, फूलों की लड़ियों से सुंदर सजावट की जाकर आकर्षक स्वरूप दिया गया। कई केंद्रों पर टीका लगाने आने वाले व्यक्तियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। लोगों का टीकाकरण होने के बाद उन्हें लगने वाले डोज की जानकारी दी गई एवं दूसरी डोज कब लगनी है, की भी जानकारी से अवगत कराया गया। साथ ही बुखार आने की स्थिति में पेरसिटामोल टेबलेट का वितरण भी वैक्सीनेशन सेंटर से किया गया।

रतलाम शहर के उजाला पैलेस स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर शहर विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मोती नगर स्थित टीकाकरण केंद्र का कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम, रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी व एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाएं देखी इसके अलावा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व ने संत टीकाकरण केन्द्रों पर जाकर आवश्यक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया व टीकाकरण केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए निर्देशित किया।

टीकाकरण कराने वाले ने बताया कि वैक्सीनेशन कराने के बाद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने जिलेवासियों से भी अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण महाअभियान 30 जून तक चलाया जा रहा है। कोविड 19 से बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग टीकाकरण कराए, तभी हम परिवार, समाज, जिला एवं प्रदेश को सुरक्षित रख पायेंगे।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 21 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्प्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो0 नं0 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो0 नं0 7697052031, अलकापुरी कम्प्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो0 नं0 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त किया गया है। आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री

विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना, वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्यवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च, पेट्रोमेक्स, तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई, वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना, वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना, अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना, आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना, तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे हैं 2105 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 21 जून | आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 18 जून तक वार्डों के कॉमन सर्विस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को 67, 6 जून को 208, 7 जून को 155, 9 जून को 261, 11 जून को 164, 12 जून को 84, 13 जून को 112, 14 जून को 222, 15 जून को 284, 16 जून को 192, 17 जून को 57, 18 जून को 104, 19 जून को 90 व 21 जून को 105 हितग्राहियों के कार्ड बनाये गये इस तरह 17 दिनों में 2105 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके हैं।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रोवाइडर के दलो का गठन किया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्री, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, को पाबंद किया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया है कि रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावे, पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

दिलीप खरे को वार्ड 9 के प्रभारी के दायित्व से हटाया

रतलाम 21 जून | वार्ड क्रमांक 9 में कचरे एवं गंदगी का ढेर पाये जाने व पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड प्रभारी दिलीप खरे को वार्ड प्रभारी के दायित्व से हटाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया।

वार्ड क्रमांक 9 के त्रिलोक नगर क्षेत्र में हनुमान मंदिर के सामने कचरे एवं गंदगी का ढेर पाये जाने व इसकी शिकायत क्षेत्रिय रहवासियों द्वारा करने पर वार्ड प्रभारी दिलीप खरे को वार्ड प्रभारी के दायित्व से हटाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 21 जून | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 18 जून को 4 दुकानदारों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खण्डेलवाल नमकीन स्टेशन रोड पर 500, मिश्राजी नगर निगम तिराहा पर 250, रमेश सामगर, अर्जून, अरिहंत किराना, बाबु, मनोहर त्रिपोलिया गेट, भोलेनाथ किराना, श्यामदास किराना धामण्डी, ईश्वरसिंह, ताहेर अली कालेज रोड, मौर्य नमकीन सैलाना रोड, न्यू शिवजी स्टेशन रोड, भरत मेडिकल महु रोड पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

962 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 21 जून | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 21 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 962 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 21 जून को

अलकापुरी, नेहरू स्टेडियम, पावर हाउसरोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं

ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/21.06.2021/न.पा.निगम, रतलाम.